

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-124/2017-18

छोटानागापुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a

कार्तिक मुण्डा बनाम नन्द लाल पातर

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

कार्तिक मुण्डा, पिता- बुधना मुण्डा, ग्राम-बारेन्दा,  
थाना-सोनाहातु, अनुमण्डल बुण्डू, जिला-राँची,  
जति-मुण्डा, पेशा-कृषि।

क्रेता का नाम एवं पता -

नन्द लाल पातर, पति-किशोरी पातर मुण्डा,  
ग्राम-बारेन्दा, थाना-सोनाहातु, अनुमण्डल बुण्डू,  
जिला- राँची, जाति-पातर मुण्डा, पेशा-नौकरी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री मनोज कुमार चौधरी

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-29/11/17 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा -46(i)a के तहत क्रेता नन्द लाल पातर पति-किशोरी पातर मुण्डा, ग्राम-बारेन्दा, थाना- सोनाहातु, जिला- राँची, जाति-मुण्डा, पेशा-नौकरी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी हैं:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
बारेन्दा	सोनाहातु	18	290	2285	0.26 डी०
				2286	0.05 डी०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सोनाहातु, से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, सोनाहातु, का पत्रांक-193(ii) दिनांक-20/06/18 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

## आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1. प्रस्तावित जमीन का खतियानी रैयत का नाम पुरन्दर मुण्डारी वल्द रेगट्टु मुण्डारी कौम मुण्डा है
2. खतियानी रैयत के साथ आवेदक का संबंध दादा-पोता का है।
3. पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम पुरेन्द्र मुण्डा है, तथा रैयत के पास रकबा-0.31 एकड़ भूमि है।
4. जमाबंदी रैयत के साथ आवेदक का संबंध दादा पोता का है।
5. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन टाँड़ किस्म की है।
6. प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चत आवेदक के पास दूसरे मौजा में लगभग रकबा-2.10 एकड़ भूमि शेष रह जाती है।
7. विक्रेता प्रस्तावित जमीन को अपने लड़की की शादी करने हेतु विक्रय करना चाहते हैं।
8. क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही आदिवासी समुदाय मुण्डा जाति के सदश्य है।
9. क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना-सोनाहातु अन्तर्गत ग्राम-बारेन्दा के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सोनाहातु ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1)a के तहत विक्रेता कार्तिक मुण्डात्र पिता-बुधना मुण्डात्र ग्राम-बारेन्दा, थाना-सोनाहातु, अनुमण्डल बुण्डू, जिला-राँची, जाति-मुण्डा, पेशा-कृषि, को क्रेता नन्द लाल पातर, पिता-किशोरी पातर मुण्डा, ग्राम-बारेन्दा थाना-सोनाहातु अनुमण्डल-बुण्डू, जिला-राँची, जाति-पातर मुण्डा, पेशा-नौकरी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-10/01/2018 को आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी सोनाहातु, के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की बिक्रेता कार्तिक मुण्डात्र पिता-बुधना मुण्डात्र ग्राम-बारेन्दा, थाना-सोनाहातु, अनुमण्डल बुण्डू, जिला-राँची, जाति-मुण्डा, पेशा-कृषि, को क्रेता क्रेता नन्द लाल पातर, पिता-किशोरी पातर मुण्डा, ग्राम-बारेन्दा, थाना-सोनाहातु अनुमण्डल-बुण्डू, जिला-राँची, जाति-पातर मुण्डा, पेशा-नौकरी, के हाथो बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 धारा 46(1)a के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

### भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बारेन्दा	सोनाहातु/18	290	2285	0.26 डी०
			2286	0.05 डी०

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
बुण्डू (राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
बुण्डू (राँची)।